



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22633

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 804 वर्ष 2026

गिराज सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 18 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	द्विजेन्द्र प्रसाद, प्रद्युम्न कुमार
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.) को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थीगण को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केवल यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, अर्थात् अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मंडल, आगरा को निर्देशित किया जाए कि अपील संख्या-395 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-सी202501000000395 (गिराज सिंह बनाम सुरेश एवं अन्य), जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 331(3) के अंतर्गत लंबित है, का निस्तारण निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मंडल, आगरा, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रकरण का निस्तारण विधि के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, यथाशीघ्र करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।